

## उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

सरफेसी वाद सं०-27/2015-16

यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बोकारो

बनाम्

मेसर्स नन्दिनी इंटरप्राइजेज

-: आदेश :-

21.07.2018

प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, द्वारा धारा 14 (1 and 2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI) के तहत मेसर्स नन्दिनी इंटरप्राइजेज, प्र० नवीन चन्द्र कुमार, पिता-श्री भोला प्रसाद रजक सेक्टर-2/डी०, क्वा०नं०-3-283, स्ट्रीट-5, बी०एस०सिटी, बोकारो के विरुद्ध बैंक में गिरवी रखे गए सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दायित्व किया गया है।

फलस्वरूप न्यायालय में उक्त एक्ट के तहत कार्रवाई प्रारंभ किया गया एवं सुनवाई हेतु तिथि निर्धारित करते हुए उभय पक्षों को अपना-अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया।

प्रथम पक्ष यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, की ओर से मुख्य प्रबंधक द्वारा उपस्थिति दर्ज की गई और अपना पक्ष रखा। उनके द्वारा कहा गया कि विपक्षी ने अपनी सम्पत्ति (मौजा चास, थाना-चास जिला बोकारो के अंतर्गत खाता सं०-24 एवं 26 के प्लॉट सं०-1017 एवं 1367 रकवा-4.50 डी०, खाता सं०-94 प्लॉट सं०-4221 रकवा-7 डी०, तथा मौजा- लुकैया थाना सं०-67, पेटरवार के खाता सं०-43 प्लॉट सं०-193 रकवा-14.50 डी० एवं पुनः खाता सं०-43 प्लॉट सं०-193 रकवा-14.50 डी० ) को गिरवी रखते हुए 30,00,000.00 (तीस लाख) रुपये मात्र का बैंक से ऋण लिया गया था जिसे अब तक उनके द्वारा नहीं चुकाया गया है। उनके द्वारा ऋण की वापसी में अनियमितता बरती गई है। ऋणकर्ता का खाता दिनांक-31.12.2014 को ही एन०पी०ए० हो गया है। ऋण की वापसी हेतु बैंक के द्वारा SARFAESI ACT-2002 के विभिन्न धाराओं के तहत नियमानुसार कार्रवाई के बावजूद भी विपक्षी की ओर से बकाया राशि की वापसी की दिशा में कोई पहल नहीं किया गया।

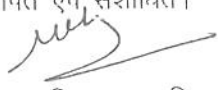
विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दलील दिया गया कि उनका व्यापार नहीं चला, जिसके कारण वह ऋण की राशि नहीं वापस कर पा रहे हैं। उनके द्वारा ऋण की राशि को भुगतान के लिए समय की माँग की गई।

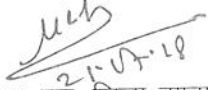
दोनों पक्षों की दलील, अभिलेख एवं उसमें संधारित कागजातों से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा ऋण की राशि वापस करने के लिए अब तक कोई पहल नहीं किया गया और न ही उनके द्वारा अब तक ऐसा कोई ठोस आधार/साक्ष्य प्रस्तुत किया गया, जिससे प्रतीत हो कि उनके द्वारा ऋण की राशि वापस कर दी जाएगी। जबकि इस न्यायालय के द्वारा विपक्षी को किस्त बनाकर ऋण चुकाने के लिए बैंक को प्रस्ताव देने का भी निदेश दिया गया था। उसके बाद भी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। जो उनके ऋण न चुकाने की मंशा को दर्शाता है।

वर्णित परिस्थिति में SARFAESI ACT-2002 की धारा 14(1) एवं 2) निहित प्रावधानों के तहत प्राधिकृत पदाधिकारी, यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, बी०एस०सिटी इंडस्ट्रीयल इस्टेट ब्रांच, बालीडीह, बोकारो, द्वारा किए गए अनुरोध पर प्रश्नगत सम्पत्ति/भूमि पर दखल-कब्जा प्राप्त करने के क्रम में शांति भंग न हो इसके लिए विधि-व्यवस्था संधारण हेतु पुलिस अधीक्षक, बोकारो एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, चास/बेरमों(तेनुघाट) आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

तदनुसार संबंधित को सूचित करें।

लेखापेत एवं संशोधित।

  
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी  
बोकारो।

  
21.07.18  
उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी  
बोकारो।